इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 87/प्र0अ0(भवन)/जोन–1/प्रस्ता0/2013–14 दिनांक 27/11/2015

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या उसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के वास्तविक अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रमाण न रखेगी।

श्रीमती क्षिमा श्रीवास्तव पत्नी श्री कृष्ण कुमार, श्रीमती रितु श्रीवास्तव पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती ज्योत्सना पत्नी श्री अनिल कुमार द्वारा नजूल फ्री होल्ड साईट नं0–79 सिविल स्टेशन, प्लाईट नं0–07 क्लाईव रोड इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर का वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 02 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों के अनुसार ही किया जाय।
6. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य मे नगर आयुक्त/नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम मे कोई देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते है तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदक पर बाध्यकारी होगा।
7. भविष्य में यदि स्वामित्व के विरुद्ध पर किसी न्यायालय द्वारा लीज निरस्त की जाती है या अन्य किसी विवाद के कारण स्वामित्व पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त (बिना किसी कारण बताओ नोटिस के) कर दिया जायेगा। मानचित्र की स्वीकृति से भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किया जा सकता है
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे, बगल, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण रूक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाए, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए, यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी

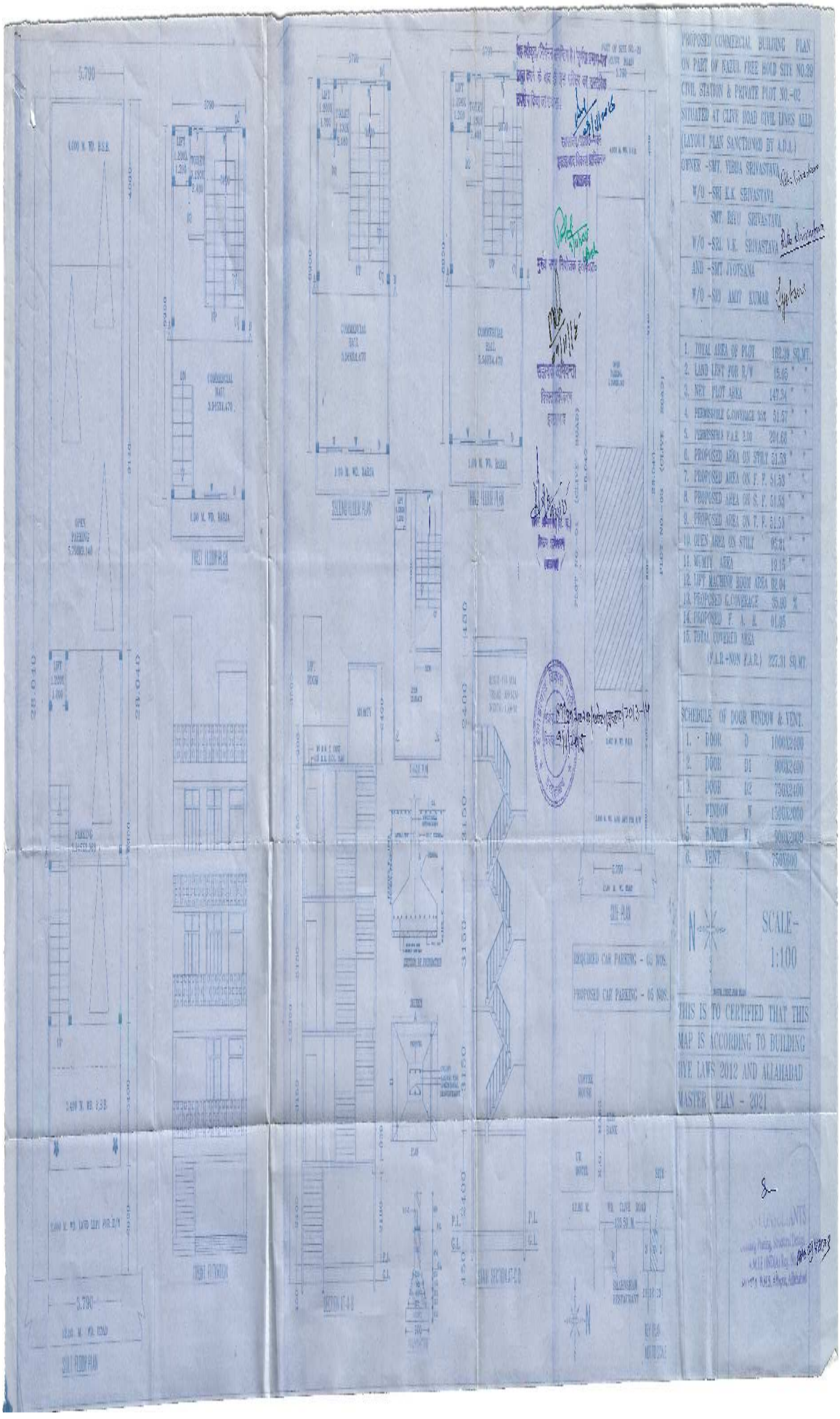

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON PART OF NAZUL FREE HOLD SITE NO.29 CIVIL STATION & PRIVATE PLOT NO.-02 SITUATED AT CLIVE ROAD CIVIL LINES ALLD (LAYOUT PLAN SANCTIONED BY A.D.A.)

OWNER - SMT. VIBHA SRIVASTAVA
W/O - SRI K.K. SRIVASTAVA
SMT. RITU SRIVASTAVA
W/O - SRI V.K. SRIVASTAVA
AND - SMT JYOTSANA
W/O - SRI AMIT KUMAR

1.	TOTAL AREA OF PLOT	162.39	SQ.MT.
2.	LAND LEFT FOR R/W	15.05	" "
3.	NET PLOT AREA	147.34	" "
4.	PERMISSIBLE G.COVERAGE 35%	51.57	" "
5.	PERMISSIBLE F.A.R. 2.00	294.68	" "
6.	PROPOSED AREA ON STILT	51.53	" "
7.	PROPOSED AREA ON F. F.	51.53	" "
8.	PROPOSED AREA ON S. F.	51.53	" "
9.	PROPOSED AREA ON T. F.	51.53	" "
10.	OPEN AREA ON STILT	95.81	" "
11.	MUMTY AREA	19.15	" "
12.	LIFT MACHINE ROOM AREA	02.04	
13.	PROPOSED G.COVERAGE	35.00	%
14.	PROPOSED F. A. R.	01.05	
15.	TOTAL COVERED AREA (F.A.R.+NON F.A.R.)	227.31	SQ.MT

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.

1.	DOOR	D	1000X2400
2.	DOOR	D1	900X2400
3.	DOOR	D2	750X2400
4.	WINDOW	W	1500X2000
5.	WINDOW	W1	900X2000
6.	VENT	V	750X600

N

SCALE- 1:100

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS 2012 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021